



Neutral Citation No-2026:AHC:6641

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 38 वर्ष 2026

श्रीमती फूला याचिकाकर्ता

बनाम

समेकन अधिकारी, और एक अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: राम यश चौहान

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, स्थायी अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की मांग की गई है: -

"I. प्रतिपक्षी संख्या-1 को परमादेश आदेश और निर्देश देने की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना। यानी चकबंदी अधिकारी, सत्यानव, इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित कुछ निर्धारित अवधि के भीतर याचिकाकर्ता द्वारा दायर कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या-20125415657021217 (फूला देवी बनाम पतिराम) वाले कम्प्यूटरीकृत मामले संख्या-1217/2013-2014 का फैसला करने के लिए जिला-आजमगढ़ मामले का निर्णय करेंगे, जो इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित कुछ निर्धारित अवधि के भीतर है, जो 01.10.2012 से प्रतिपक्षी संख्या-1 के समक्ष लंबित है।

3. यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तर प्रदेश चकबंदी/जोत समेकन अधिनियम, 1953 की धारा 12 के तहत प्रस्तुत याचिकाकर्ता द्वारा बिक्री विलेख के आधार पर दायर किया गया एक



आवेदन, 01.10.2012 से विचाराधीन है; इस तथ्य के बावजूद कि प्रतिपक्षी पहले ही उपस्थित हो चुका है और मामला अंतिम निर्णय के लिए तैयार है।

4. स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपरोक्त मामले के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश जारी किया जाता है।

5. इस विवेचन में, जैसा कि उपर्युक्त है, इस मामले को लंबित रखने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा, इसलिए, यह न्यायालय प्रस्तुत रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, चकबंदी अधिकारी (प्रतिपक्षी संख्या-1) को निर्देश देकर, प्रस्तुत रिट याचिका को अंतिम रूप से निपटाने के लिए उचित समझता है, जिसके समक्ष उपर्युक्त मामला निपटान के लिए लंबित है, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से पांच महीने की अवधि के भीतर शीघ्रता से, अधिमानतः निर्णय लेना।

6. यह उम्मीद की जाती है कि यह कानून के अनुसार, किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, एक तर्कसंगत और आख्यापक आदेश द्वारा तय किया जाना चाहिए।

7. उपरोक्त निर्देश के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

जनवरी 12, 2026

वीकेजी

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)